प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2019

नई रिपोर्ट दिल्ली के गाड़िया लोहार समुदाय की दयनीय जीवन-दशा को उजागर करती है उनकी स्थिति बदतर होने से रोकने के लिए सरकार से त्वरित कार्रवाई की माँग करती है

आज दिल्ली में हुए एक प्रेस सम्मलेन में **आवास और भूमि अधिकार संगठन (HLRN)** ने एक नई रिपोर्ट का विमोचन किया जिसका शीर्षक है – **दिल्ली के गाड़िया लोहार समुदाय की जीवन-दशा।**

इस रिपोर्ट का विमोचन श्री बालकृष्ण रेंके (घुमंतू, अर्ध-घुमंतू, और विमुक्त जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष) और दिल्ली के गाड़िया लोहार समुदाय के सदस्यों द्वारा हुआ। शहर के विभिन्न गाड़िया लोहार बस्तियों के निवासी – किरण, पवन, और भारती, नें उनके बस्तियों में कई चुनौतियों, विशेषकर आवश्यक सेवायों, शिक्षा, तथा अन्य मानवाधिकारों के अभाव पर प्रकाश डाला। समारोह के अन्य वक्तायों में श्री विशेष रवि (विधायक), सुश्री पल्लवी रेंके (सदस्य, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग), श्री रमेश शर्मा (राष्ट्रीय संयोजक, एकता परिषद्) और शिवानी चौधरी (कार्यकारी संचालक, आवास और भूमि अधिकार संगठन/HLRN) भी शामिल थे।

इस रिपोर्ट में आवास और भूमि अधिकार संगठन (HLRN) और गाड़िया लोहार संघर्ष समिति द्वारा मिलकर किये गए गाड़िया लोहार समुदाय की जीवन-दशा पर एक प्राथमिक अध्ययन के निष्कर्षों को पेश किया गया है। गाड़िया लोहार समुदाय एक नितांत हाशिये पर जीनेवाला और ऐतिहासिक रूप से घुमंतू समुदाय है जो दिल्ली में 58 से भी ज्यादा बस्तियों में दशकों से बसा है. इस अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य गाड़िया लोहार समुदाय के बारे में तथ्यों और जानकारी की कमी को दूर करना है तथा उनके प्रति लगातार उदासीनता को हल करने के लिए समुचित कानून और नीतियों का ढाँचा बनाने की सिफ़ारिश करना है।

आवास और भूमि अधिकार संगठन की रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष:

1. ***उपयुक्त आवास का अभाव और बार बार बेदखली:*** सर्वेक्षण में शामिल ज़्यादातर बस्तियां सड़क के किनारे बसी हैं जिनमें मिटटी या प्लास्टिक के बने कच्चे ढांचे के घर हैं जो अत्यधिक गर्मी, ठण्ड या बरसात से सुरक्षा नहीं दे पाते। सरकारी निगमों और प्राधिकरणों द्वारा बार-बार उजाड़े जाने से उनकी पहले से ख़राब जीवन परिस्थितियां और बदतर हो जाती हैं। 58 सर्वेक्षित बस्तियों में से 53 को बिना किसी नोटिस या पुनर्वास के प्रावधान के जबरन बेदखली का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह से इन लोगों के उपयुक्त आवास के मानवाधिकार का लगातार हनन हुआ है।

2017 में मानसरोवर पार्क, दिल्ली में बेदखली अभियान के दौरान 62 गाड़िया लोहार परिवारों के घर उजाड़ दिए गए । 2018 में चिराग दिल्ली, जहाँपनाह पार्क, कीर्ति नगर, नारायणा, राजापुरी, रोहिणी और वजीरपुर में स्थित उनकी बस्तियां उजाडी गयी।

2. ***अत्यंत ख़राब जीवन परिस्थितियां:*** ज्यादातर गाड़िया लोहार बस्तियों में मूलभूत सेवाएँ और सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके कई मानवाधिकारों का हनन होता है जैसे कि स्वास्थ्य, पानी, सफाई, रोज़गार,और आवासीय सुरक्षा के अधिकार। बच्चों के शिक्षा के बुनियादी अधिकार का भी हनन होता है क्योंकि 78 प्रतिशत बस्तियों में बाल विकास केंद्र या आंगनवाडी नहीं है और लगभग 44 प्रतिशत बस्तियों के निवासियों को स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

करीब 41 प्रतिशत बस्तियों में पीने के साफ़ पानी का आभाव है, 22 प्रतिशत बस्तियों में बिजली नहीं है, 75 प्रतिशत में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं है, 61 प्रतिशत में राशन की दुकानें नहीं है और 50 प्रतिशत बस्तियों में कचरा व्यवस्थापन की सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

3. ***महिलायों की सुरक्षा और सम्मान को खतरा:*** सर्वेक्षित बस्तियों में से लगभग 64 प्रतिशत में शौचालय, स्नान-घर और सफाई की सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से समुदाय के लोगों की सुरक्षा और सम्मान पर गहरा असर पड़ता है, खासकर के औरतें और लड़कियां, जिन्हें अक्सर पूरे कपड़े पहनकर नहाना पड़ता है और खुले में शौच करना पड़ता है। इसकी वजह से उन पर हिंसा और शोषण का खतरा बढ़ता है और वे उसकी शिकार भी बन जाती हैं।

4. ***जाती प्रमाण पत्र और पहचान पत्र का अभाव:*** हालांकि गाड़िया लोहार समुदाय की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान है और भारत की 'विमुक्त जनजातियों, घुमंतू जनजातियों तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों की सूची' में उन्हें 'घुमंतू जनजाति' के रूप में दर्ज किया गया है, फिर भी दिल्ली में सर्वेक्षित 99 प्रतिशत गाड़िया लोहार बस्तियों में निवासियों के पास जाती प्रमाण पत्र नहीं है जिसकी वजह से वे न सिर्फ एक वैध पहचान से वंचित रह जाते हैं, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से भी वंचित हो जाते हैं।

5. ***सरकारी नीतियों में नदारद:*** दशकों से दिल्ली में बसे होने के बावजूद गाड़िया लोहारों की लगभग सभी बस्तियां दिल्ली सरकार द्वारा या दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं जिसकी वजह से वे 'दिल्ली झुग्गी झोपडी पुनर्वास और स्थानांतरण नीति, 2015' के अंतर्गत पुनर्वास और स्थायी आवास के लिए भी अपात्र की श्रेणी में डाले जाते हैं। इसके आलावा दशकों से सरकार की उपेक्षा और उदासीनता झेलने की वजह से यह समुदाय आज हाशिये पर जीने के लिए मजबूर हुआ है।

सुझाव:

आवास और भूमि अधिकार संगठन की रिपोर्ट (HLRN) सरकार को निम्नलिखित सुझाव देती है जिससे दिल्ली में गाड़िया लोहार समुदाय के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे दूर किया जा सके:

- **जबरन बेदखली पर रोक** और आवास के अधिकार पर न्यायालय के प्रगतिशील फैसलों पर अमल जिससे उपयुक्त आवास के उनके मानवाधिकार का हनन न हो पाए।
- **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) द्वारा सभी गाड़िया लोहार बस्तियों का व्यापक सर्वेक्षण** ताकि पुनर्वास के लिए उनकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके और दिल्ली की मुख्यमंत्री आवास योजना में उन्हें शामिल किया जा सके।
- **जहाँ झुग्गी वहीं मकान –** जहाँ ज़मीन उपलब्ध है वहां अपने स्थान पर ही (*in situ*) पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि समुदाय के सदस्यों को शहर के पास रहने की सुविधा कायम रहे और उनका रोजगार प्रभावित न हो। यानि आवास बदलने से उनके जीवन में कोई बाधा न पैदा हो और उनके जीवनयापन, आय और शिक्षा को कोई नुकसान न हो।

- **उपयुक्त आवास का प्रावधान –** उन्हें ऐसे घर दिए जाने चाहिए जिनके साथ व्यवसाय के लिए भी जगह हो, यानि गाड़िया लोहार समुदाय के पारंपरिक पेशे को ध्यान में रखते हुए मकान के साथ दुकान भी हो।
- **आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना –** समुदाय के सभी बस्तियों को पानी, बिजली, सफाई व्यवस्था तथा अन्य ज़रूरी सेवाएं मिलनी चाहिए और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहे, इसके लिए ख़ास प्रयास होना चाहिए।
- सभी गाड़िया लोहार बस्तियों में **उपयुक्त सार्वजनिक शौचालय** बनने चाहिए।
- ऐतिहासिक पिछड़ापन और सरकारी उदासीनता की भरपाई करने के लिए उन्हें **'अति पिछड़ा वर्ग (MBC)' घोषित किया जाना चाहिए** तथा सभी सदस्यों को जाती प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए।
- **गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड स्थापित किया जाये –** जो यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी निधि और योजनाओं का समुदाय के सदस्यों के हित के लिए समुचित उपयोग किया जायेगा।

आवास और भूमि अधिकार संगठन (HLRN) यह उम्मीद करता है कि यह रिपोर्ट दिल्ली में रह रहे गाड़िया लोहार समुदाय की बदतर जीवन-दशा पर ध्यान आकर्षित करने में सहायता करेगी और फलस्वरूप उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा तथा उनकी स्थिति को और बदतर होने से रोकने वाली प्रगतिशील नीति बनाने के लिए प्रेरित करेगी।आगामी दिल्ली विधानसभा के चुनाव की पृष्ठभूमि में हमें सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है।

दिल्ली के गाड़िया लोहार समुदाय की जीवन-दशा:
https://www.hlrn.org.in/documents/Delhi_Gadia_Lohar_Hindi.pdf

Mapping the Marginalized: Delhi's Gadia Lohar Community:
https://www.hlrn.org.in/documents/Delhi_Gadia_Lohar.pdf

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

Housing and Land Rights Network (आवास और भूमि अधिकार संगठन)
G-18/1 Nizamuddin West, New Delhi – 110013, India
+91-11-4054-1680 | contact@hlrn.org.in | www.hlrn.org.in